संख्या- 122 /2022/513/चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊःदिनांक 31 मार्च, 2022

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कराये जा रहे कार्यों हेतु कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5489/19 -आजादी@75(कम्प्यूटर)/2021-22, दिनांक 30 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कराये जा रहे कार्यों हेतु प्रस्तावानुसार कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रयहेतु धनराशि रू0 525460.00(रूपये पाँच लाख पच्चीस हजार चार सौ साठमात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) समस्त कार्यों का सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(3) उक्त स्वीकृति धनराशि आहरित लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी और संस्थान द्वारा नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।
(4) उक्त संबंध में स्थानीय बाजार के थोक दरों को ज्ञात कर OEM तथा आनलाइन दरों की तुलना कर आवश्यकतानुसार मितव्ययता का ध्यान रखते हुए क्रय किया जायेगा ।

3- उक्त धनराशि रू0 525460.00 (रूपये पाँच लाख पच्चीस हजार चार सौ साठ मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी-चौरा शताब्दी-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या- 122 /2022/513(1)/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।